दिनांक 13 एवं 14–दिसम्बर, 2018 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 7791/110/तीन/97–VII दिनांक 07–12–2018, द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 13, 14–दिसम्बर,2018 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों, सी0एल0टी0सी0 एवं शहर मिशन प्रबन्धकों के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओं– प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा अन्य सभी योजनाओं की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् है:–

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास–

1. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत मा0 प्रधानमंत्री जी के माह– दिसम्बर,2018 के अन्तिम सप्ताह में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 1.01 लाख आवासों का लक्ष्य दिनांक 25.12. 2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।
2. समीक्षा बैठक में सभी डी0पी0आर0–पी0एम0सी0 को निर्देश दिये गये कि BLC(New) के अन्तर्गत बड़े जनपदों में 2000 आवासों की नई डी0पी0आर0 तथा छोटे जनपदों में 1000 आवासों की नई डी0पी0आर0 तैयार कराना सुनिश्चित करें।
3. समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत दिनॉक 25.12.2018 तक 1.01 लाख आवासों को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है तथा अनुपातिक आधार पर उक्त लक्ष्य को बढ़ाकर 2.50 लाख कर दिया गया है जो कि माह फरवरी, 2019 तक पूर्ण किया जाना है।
4. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र के संबंध में जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी तथा निर्देश दिये गये कि जिन जनपदो ने जनपद स्तर से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक मुख्यालय को प्रेषित नही किये है वे तीन दिवस में उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत जो भुगतान Payment By Higher Agency के माध्यम से किया गया है उसका प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर परियोजना निदेशक से हस्ताक्षरित कराते हुए एक सप्ताह में मूल–प्रति मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक सप्ताह के अन्त में यू0सी0/प्रमाण–पत्र मुख्यालय को प्रेषित किये जायें।
5. समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत जनपद– अमेठी, बहराइच, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, हरदोई, मुज्जफ्रनगर, शाहजहॉपुर,सोनभद्र से डूडा द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी यू0सी0 मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है, निर्देशित किया गया कि तीन दिवस में वांछित यू0सी0 मुख्यालय को प्रेषित किया जाये।
6. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की गयी धनराशि के ब्याज की धनराशि किसी भी दशा में व्यय न की जाय तथा विवरण सहित लेखांकन करते हुए उक्त धनराशि मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित किया जाये।
7. समीक्षा बैठक में जनपद जालौन में अभिकरण मुख्यालय द्वारा गठित टीम द्वारा पी0एम0ए0वाई0 योजनान्तर्गत पायी गयी वित्तीय अनियमितता के दृष्टिगत परियेाजना अधिकारी एवं संबन्धित लिपिक,डूडा के विरूद्व विभागीय कार्यवाही तथा संबंधित सी0एम0एम0 एवं सी0एल0टी0सी0 को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिये गये।
8. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि दिनॉक 25.12.2018 तक आवासों की प्रगति के आधार पर पांच खराब जनपदों की सूची बनाकर प्रस्तुत की जाये तथा उनके विरूद्व कार्यवाही भी की जाये।
9. जनपद वाराणसी में मा0 प्रधानमंत्रीजी के भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत दिनॉक 25.12.2018 तक 5000 आवासों का कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये तथा संबंधित संस्था के प्रमुख को स्वयं वाराणसी जाकर विशेष प्रयास कराते हुए अतिरिक्त स्टॉफ लगाकर कार्य पूर्ण कराने के भी निर्देश दिये गये।
10. जनपद बागपत में कम प्रगति के दृष्टिगत परियोजना अधिकारी को निर्देश दिये गये कि यदि संबंधित संस्था दो दिन में पर्याप्त स्टॉफ नही उपलब्ध कराती है तो उसके स्थान पर दूसरी संस्था से कार्य कराना सुनिश्चित करें।

11. जनपद बांदा में कम प्रगति के दृष्टिगत सी0एल0टी0सी0 को तत्काल हटाने का नोटिस देने के निर्देश दिये गये।
12. जनपद इलाहाबाद में योजनान्तर्गत अपेक्षित प्रगति न होने के कारण संबंधित सी0एल0टी0सी0 को प्रगति में सुधार लाने के दृष्टिगत एक माह का समय सीमा निर्धारित की गयी। यदि एक माह में अपेक्षित प्रगति नही आती है तो संबंधित को हटाने के निर्देश दिये गये।
13. जनपद कन्नौज एवं मैनपुरी में संबंधित संस्था के प्रभारी को स्वयं वहाँ जाकर समस्या का निराकरण करने तथा रिपोर्ट तीन दिवस में मुख्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
14. समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि सभी जनपदों हेतु TPQMA का चयन कर लिया गया है। इस संबंध में सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने जनपद से संबंधित संस्था के कन्सल्टेन्ट से समन्वय स्थापित करते हुए उनके कार्य में सहयोग करें। बैठक में TPQMA कन्सल्टेन्टस का परिचय भी कराया गया तथा उनका मोबाइल नं0 भी नोट करा दिया गया।
15. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी डी0पी0आर0–पी0एम0सी0 सम्बन्धित जनपदों में परियोजना अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त स्टाफ लगायें ताकि लक्ष्यों की पूर्ति ससमय की जा सके।
16. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी जनपदों से पूर्ण आवासों के फोटोग्राफ एवं लाभार्थी सूची प्रत्येक दशा में दिनॉक 25.12.2018 तक सूडा, मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
17. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि यदि उनके जनपद में चयनित कार्यदायी संस्था ठीक प्रकार से कार्य नही कर पा रही है तो उसे जिलाधिकारी की अनुमति से तत्काल हटाकर अन्य संस्था का चयन किया जा सकता है जिससे कि योजनान्तर्गत आपेक्षित प्रगति लायी जा सके।
18. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों एवं सी0एम0एम0 को निर्देशित किया गया कि जनपदों में जितने लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है उन सभी को तृतीय लेबल जीयोटैग कराते हुए दिनॉक 25.12.2018 तक तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करना सुनिश्चित किया जाये।
19. समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का निरन्तर अनुश्रवण मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, अतः निर्माण कार्यो की गुणवत्ता प्रत्येक दशा सुनिश्चित की जाये।
20. योजनान्तर्गत लाभार्थी को आवासीय सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी कन्वर्जेन्स के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
21. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों, कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे जियो टैग की प्रगति का दैनिक/साप्ताहिक अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
22. स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टैग हो चुके आवासों के मोडरेशन का कार्य सी0एल0टी0सी0 /सी0एम0एम0 द्वारा किया जायेगा।
23. सभी परियोजना अधिकारियों/कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे आगामी 7 दिवस में चयनित पात्र लाभार्थियों का विवरण पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर हाई लेविल एजेंसी के माध्यम से सूडा मुख्यालय को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें तथा जहाँ प्रथम किश्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है एवं कार्य लिन्टल लेविल तक पहुंच गया है वहाँ द्वितीय किश्त की धनराशि नियमानुसार अन्तरित किये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
24. जिन निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन निकायों के प्लान ऑफ एक्शन जनपद स्तरीय निगरानी समिति से कराने से पूर्व लाभार्थियों के समस्त प्रपत्र प्राप्त कर लें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

SM&ID- सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत कतिपय शहरों की प्रगति लक्ष्यों के सापेक्ष कम पाये जाने पर परियोजना अधिकारियों एवं शहर मिशन प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि दिसम्बर, 2018 तक निर्धारित लक्ष्यों को प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाय। उक्त के साथ ही इस घटक के अन्तर्गत गठित समूहों, ए0एल0एफ0 को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने की प्रगति अत्यन्त धीमी पाये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये। अवगत कराया गया कि SHG को RF अवमुक्त की गति धीमी होने के संबंध में संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा भी वीडियो कान्फ्रसिंग समीक्षा में गहरी चिन्ता व्यक्त

की गई है तथा निर्देश दिये गये है कि अर्ह सभी SHG एवं ALF को शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़ा में चिन्हित कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए सभी अर्ह SHG एवं ALF को फरवरी 1 से 15, 2019 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर RF अवमुक्त किये जाये तथा प्रमाण पत्र दिया जाये। SHG/ ALF को अर्हता पूरी होने पर लक्ष्य से अधिक संख्या में भी RF अवमुक्त किया जाये। धनराशि न होने की दशा में तुरन्त धनराशि की मांग की जाये। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर समूहों को नियमानुसार तत्काल RF अवमुक्त किया जाए। सूडा उ0प्र0 द्वारा सभी शहरों हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। यह भी निर्देश दिये गये कि रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त सभी ए0एल0एफ0 एवं समूहों को आय सृजनात्मक कार्यो से सम्बद्ध किया जाय, महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु कार्य किया जाय तथा जनपद हेतु निर्धारित "एक जनपद एक उत्पाद" से भी समूहों को सम्बद्ध किया जाये। आय सृजनात्मक कर रहे समूहों को विवरण पूर्व में भेजे गये प्रपत्रों पर वरीयता के क्रम में (सबसे अच्छे कार्य करने वाले SHG को सबसे ऊपर तथा तदानुसार उसी क्रम में) तैयार कर प्रत्येक दशा में 10 जनवरी, 2019 तक एस0यू0एल0एम0, सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

स्वयं सहायता समूहों को आय सृजनात्मक कार्यों के संबंध में निर्देशित किया गया कि इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या–776/241 /NULM/Teen/2001/SM&ID-III दिनांक 18.05.2018 एवं पत्र संख्या–3759/241/NULM/Teen/2001/SM&ID-III दिनांक 28.09.2018 के द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों का अधिकांश शहरों द्वारा अद्यतन अनुपालन नहीं किया गया है जिस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि नगरीय निकायों में गठित सभी समूहों को आय सृजनात्मक कार्यों से सम्बद्ध किया जाय तथा जनपद हेतु निर्धारित "एक जनपद एक उत्पाद" की उत्पादन हेतु समूहों को प्रोत्साहित करते हुए सम्बद्ध किया जाय तथा उपरोक्तानुसार आख्या इस कार्यालय को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जाये।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्रों (CLC) की प्रगति में पाया गया कि अधिकांश सी0एल0सी0 की प्रगति अपेक्षा के अनुरुप नहीं है। विगत 2 वर्षो से अधिक समय से संचालित सी0एल0सी0 को सुचारु रुप से गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में संचालन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए सी0एल0सी0 को बेहतर ढ़ंग से संचालित किये जाने के सम्बन्ध मे भी निर्देशित किया गया कि CLC में पंजीकरण तेजी से कराया जाये। प्रचार–प्रसार के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सी0एल0सी0 को आत्म निर्भरता की ओर ले जाया जाये। उक्त के साथ ही सी0एल0सी0 द्वारा समूहो के उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाये जाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान कर समूहो को भी सी0एल0सी0 में पंजीकृत कर उत्पादित उत्पादों की बिक्री सी0एल0सी0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाये।

साथ ही Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु भारत सरकार द्वारा चयनित सी0एल0सी0 कानपुर के माध्यम से जनपदों से समूहवार विवरण इस कार्यालय के पत्र संख्या–4430/241/NULM/Teen/ 2001/SM&ID-CLC दिनांक 17.10.2018 के द्वारा सूडा उ0प्र0 एवं सी0एल0सी0 जोन–5 कानपुर नगर को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

SUH- शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत अवगत कराया गया है प्रदेश में थर्ड पार्टी सर्वे में पाये गये निकायवार आकड़े जिलों को इस आशय से उपलब्ध कराया गया है कि राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति के कार्यवृत्त संख्या–4871/241/NULM/तीन/2001(SUH)SLMC दिनांक 01.11.2018 के अनुसार थर्ड पार्टी सर्वेक्षण मे पाये गये 25 शहरी बेघरों तक की संख्या वाले निकायों को उक्त बेघरों को आश्रय की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर सामुदायिक केन्द्रों/अन्य भवनों में निकायों द्वारा अपने संसाधनों से की जायेगी तथा 25 से अधिक संख्या में पाये गये शहरी बेघरों हेतु तत्काल भूमि का चिन्हांकन कर C&DS, UP जल निगम के माध्यम से DPR तथा सभी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने के संबंध में तत्काल कार्ययोजना/रोडमैप इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये जोकि अद्यतन अप्राप्त है। प्रकरण में विगत दिनांक 13.11.2018 एवं दिनांक 05.12.2018 को सुनवाई के दौरान मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए शहर में रह रहे सभी शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विगत दिनांक 13.11.2018 को प्रकरण में सुनवाई के दौरान याचीकर्ता द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय को शपथ–पत्र के माध्यम से किये गये अनुरोध के क्रम में शहरों से अस्थाई शेल्टर होम की प्राप्त सूचना के आधार पर मा0 उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार की तरफ से शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है जिसमें सभी अस्थाई शेलटर होम की सूची विवरण सहित लगायी गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अस्थाई शेल्टर के संबंध में याचीकर्ता को संचालन के संबंध में मानीटरिंग कर स्थित से अवगत

कराने के निर्देश दिये गये है जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि अस्थाई शेल्टर होम के संचालन की सूचना फोटोग्राफ्स सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई जाये। इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूची में उल्लिखित अस्थाई शेल्टर होम का सुचारु रुप से आवश्यक सभी सुविधाओं एवं सेवाओं सहित संचालन कराया जाये तथा नियमित मानीटरिंग की जाये। इस संबंध में सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि इस संबंध में नगर निकायों से समन्वय कर संचालन सुनिश्चित करायें। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में सभी जनपदों के सभी निकायों में दिसम्बर, 2018 से आवश्यक सुविधाओं सहित अस्थाई शेल्टर की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। यह भी निर्देशित किया गया कि भूमि/भवन चिन्हीकरण हेतु परियोजना अधिकारी स्वयं राजस्व अधिकारी/कर्मी के साथ बैठक/समन्वय करके शहर का भ्रमण कर मैपिंग करके भूमि/भवन की उपलब्धता नगरीय निकायों से प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाये।

संचालित सभी शेल्टर होम (NULM & Non NULM) की शेल्टर प्रोफाइल MIS, SULM को तत्काल निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि शहर में संचालित NULM एवं नगर निगमों के सभी शेल्टर होम की प्रोफाइल GOI के पोर्टल पर अपलोड हो गयी है। NULM के घटक एस0यू0एच0 के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण सभी शेल्टर होम का संचालन तत्काल चयनित संस्थाओं के माध्यम से प्रारम्भ करा दिया जाये। शहर में संचालित सभी प्रकार के शेल्टर होम में रुकने वाले बेघरों की प्रत्येक दिवस निर्धारित प्रारुप पर 12 बजे अपराहन तक सूडा उ0प्र0 को suhnulmup@gmail.com पर प्रत्येक दशा में रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

EST&P-

वित्तीय वर्ष 2015–16 में किये गये प्रशिक्षण के सेवायोजन एवं ट्रैकिंग के संबंध में:–

प्रशिक्षित एवं प्लेसमेन्ट किये गये सभी लाभार्थियों का सेवायोजन एवं सुचारू रूप से ट्रैकिंग करने के संबंध में नियमानुसार प्रदत्त निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तत्पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये। सेवायोजित किये गये प्रशिक्षार्थियों की 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधित प्रपत्र MIS पर अनिवार्य रुप से अपलोड किये जाये एवं संबंधित प्रपत्र की हार्ड कॉपी में संस्थावार CMMU/DUDA पर संकलित किया जाये।

असेसिंग बॉडीस को भुगतान के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्रशिक्षार्थियों के किये गये असेसमेन्ट के सापेक्ष असेसिंग बॉडीस का कई शहरों में भुगतान किया जाना लम्बित है जिसके संबंध में भारत सरकार स्तर पर हुयी समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही लम्बित असेसमेन्ट भुगतानों को जारी किया जाय। उक्त के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या–614/241/NULM /तीन/2001/EST&P(SDI)AB-Vol-II दिनांक 11.05.2018 द्वारा असेसिंग बॉडीस के लम्बित भुगतानों को नियमानुसार शीघ्र जारी किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। उल्लेखनीय है कि शहरों को EST&P के अन्तर्गत जारी की गयी धनराशि में ही असेसमेन्ट लागत सम्मिलित है। अतः उक्त प्रकरण की गम्भीरता को संज्ञान में लेते हुए असेसिंग बॉडीस के लम्बित समस्त भुगतानों को यथाशीघ्र अवमुक्त किया जाए।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणः–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष कौशल प्रशिक्षण की द्वितीय एवं तृतीय किश्तों के भुगतान हेतु एन0एस0डी0सी0 द्वारा संबंधित शहरों को भुगतान हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये है। अभिकरण के पत्रांक–3624/241/NULM/Teen/2001(NSDC) दिनांक 24.09.2018 द्वारा उक्त के संबंध में जारी विस्तृत निर्देशों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणः–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों में प्रारम्भ कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत जिन बैचों का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है उनको तत्काल रुप से एम0आई0एस0 पर उन बैचों को क्लोस किया जाये और प्रशिक्षार्थियों की असेसमेनट प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। संबंधित एन0एस0डी0सी0 पार्टनर द्वारा संबंधित सेक्टर के सेक्टर स्किल कौंसिल (SSC) से सम्पर्क करते हुए असेसमेन्ट प्रक्रिया की जानी है। एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं हेतु 10.08.2018 को प्रथम 30 प्रतिशत किश्त के भुगतान हेतु संबंधित शहरों को धनराशि जारी की जा चुकी है, सभी शहरेां से अपेक्षित है कि शीघ्र ही

एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं का भुगतान नियमानुसार परीक्षण करके सुनिश्चित किया जाये ताकि एसेसमेन्ट प्रक्रिया को गति प्राप्त हो सके।

वित्तीय वर्ष ,2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों बुलन्दशहर, मैनपुरी, लखीमपुर, बाराबंकी एवं गाजीपुर में प्रशिक्षण कार्य नही प्रारम्भ नही हुआ है परन्तु एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रशिक्षार्थियों की इन्ट्री प्रदर्शित हो रही है, उक्त सभी शहरो को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त प्रशिक्षार्थियों की इन्ट्री को हटाने की कार्यवाही पूर्ण करें।

समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि पूर्व में घटक के अन्तर्गत प्रशिक्षित एवं प्लेसमेन्ट पाये सभी लाभार्थियों की सुचारू रूप से ट्रैकिंग करके आख्या उपलब्ध करायी जाये। ट्रैकिंग में लाभार्थी से वार्ता एवं भौतिक सत्यापन भी किया जाये। इस सम्बन्ध मे यह भी निर्देशित किया गया कि शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा शत–प्रतिशत सेवायोजन के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये तथा पी0ओ0/ए0पी0ओ0 द्वारा भी 15–20 प्रतिशत सेवायोजित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये। सत्यापन के लाभार्थियों का समस्त विवरण रजिस्टर पर अंकित किया जाये तथा जिस अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाये उसके हस्ताक्षर भी रजिस्टर पर किये जाये। तत्पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कौशल प्रशिक्षण प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में ई–टेण्डर निविदा के माध्यम से शहरवार इम्पैनल्ड कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची इस कार्यालय के पत्र संख्या–2247/241/NULM/Teen/2001 (EST&P)2017-18 दिनांक 20.07.2018 एवं कौशल प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पत्र संख्या–2498/241/NULM/Teen/2001(EST&P)2017-18 दिनांक 02.08.2018 एवं शहरवार लक्ष्यों का आवंटन पत्र संख्या–2511/241/NULM/ Teen/2001(EST&P)2017-18 दिनांक 02.08.2018 द्वारा जारी किये जा चुके है। सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के क्रम में 20.09.2018 तक सभी इम्पैनल्ड संस्थाओं को कार्यादेश जारी किये जाये और यथाशीघ्र प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

मासिक समीक्षा एवं शहरों से वार्ता के दौरान संज्ञान में आया है कि अधिकांश शहरों ने अभी प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं हुआ है। पत्रांक–2511 दिनांक 02.08.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु शहरवार लक्ष्यों को आवंटन किया गया है और उक्त पत्र में स्पष्ट अंकित किया गया है कि वितीय वर्ष 2018–19 की समाप्ति (31 मार्च, 2019) तक प्रत्येक दशा में भौतिक रुप से MIS पर प्रशिक्षण/बैचों को क्लोज अवश्य ही किया जाए। उपरोक्त के संबंध में पुनः मुख्यालय के पत्र संख्या–988 दिनांक 05.11.2018 के द्वारा सभी शहरों को निर्देश जारी किये गये है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में मात्र 03 माह अवशेष है, इन्ही अवशेष 03 माह में प्रशिक्षण प्रारम्भ कर समाप्त किया जाना प्रत्येक दशा में अनिवार्य है। जिन शहरों में 31 मार्च, 2019 तक प्रशिक्षण कार्य (बैच क्लोज) समाप्त नहीं होगा, उन बैचों का भुगतान नहीं किया जायेगा और पूर्व में भुगतान की गई राशि भी वसूली जायेगी और प्रशिक्षण कार्य निर्धारित अवधि एवं तिथि तक समाप्त नहीं होने की दशा में परियोजना अधिकारी का व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

SUSV- DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराया जाना मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता कार्यक्रमों में सम्मिलित है जिसकी निरन्तर समीक्षा शासन द्वारा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 14 शहरों (सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, झांसी एवं आगरा) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन 02 वर्ष अधिक समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 15.01.2019 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 16 शहरों (बरेली, मऊ, मथुरा, जौनपुर, लोनी, बुलन्दशहर, उन्नाव, हापुड, शांहजहांपुर, सम्भल, मिर्जापुर, फैजाबाद, अमरोहा, हरदोई, फतेहपुर एवं उरई) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन हुये लगभग 09 माह से 16 माह तक का समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 15.01.2019 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा

में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त सभी शहरों को पुनः स्पष्ट किया गया कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 अवश्य लिया जाय, जिसके संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। जिन शहरों में कुछ पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 सर्वे के दौरान प्राप्त नही हो पाये है, उन पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 प्राप्त करने हेतु कैम्पों, बैठको आदि का आयोजन किया जाये, जिन पथ विक्रेताओं के आधार एवं मोबाईल नं0 नही प्राप्त हो पाते है उनके पंजीकरण/आई कार्ड जारी करने के समय आधार एवं मोबाइल नं0 अनिवार्य रुप से लिये जाये और डाटाबेस में प्रविष्टि की जाय।

लखनऊ, वाराणसी, मेरठ एवं सहारनपुर हेतु स्वीकृत विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (DIP) के सापेक्ष अगस्त, 2018 को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है। उक्त शहरों को निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र ही अवस्थापना निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते हुए निर्धारित प्रपत्र (पत्रांक–477 दिनांक 30.10.2018) पर प्रगति मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 20 शहरों में शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 20 शहरों यथा शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, रामपुर, चन्दौसी (सम्भल), बड़ौत (बागपत), खुर्जा (बुलन्दशहर), मोदीनगर (गाजियाबाद), शामली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा एवं ललितपुर में शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सियों का चयन पत्रांक–3633/241/NULM/Teen/2001(SUSV) TC-Tender दिनांक 25.09.2018 द्वारा जारी किया गया है। उक्त शहरों को निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र ही एजेन्सियों से सम्पर्क करते हुए कार्यादेश जारी करने एवं अनुबन्ध किये जाने की कार्यवाही पूर्ण करते हुए सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराये एवं अतिशीघ्र सर्वे कार्य प्रारम्भ किया जाय।

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने के सम्बन्ध में:–

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–1134/241/एनयूएलएम/तीन/ 2001(एसयूएसवी) दिनांक 05.06.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, इस निर्देश के अनुसार ही शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने की समस्त कार्यवाही एक माह के अन्दर पूर्ण की जाये। शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाना सरकार के प्राथमिकता कार्यों में सम्मिलित है जिसके संबंध में शासन स्तर पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है। अतः एस0यू0एस0वी0 के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेता हेतु किये जा रहे कार्यों वाले सभी 30 शहरों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में सभी सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी कराया जाना एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय।

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के नियमों के अनुसार पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में किये जाने वाल कार्य:–

शहरी पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार नियम–4 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति का गठन, नियम–5 के अनुसार पथ विक्रेताओं के मध्य निर्वाचन की रीति, नियम–10 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति के लिए कार्यालय, स्थल, कर्मचारी वर्ग और सचिव का उपबन्ध किया जाना, नियम–6(थ) के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति द्वारा पथ विक्रेता चार्टर प्रकाशित करना, नियम– 25(1) के अनुसार पथ विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण और विवादों के समाधान हेतु विवाद निवारण समिति का गठन, नियम–15 के अनुसार विक्रय परिक्षेत्रों (वेडिंग/नो वेडिंग जोन) का चिन्हांकन, नियम–12 के अनुसार पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, नियम–13 के अनुसार पथ विक्रेताओं का पंजीकरण (प्रपत्र–2), नियम–14 के अुनसार पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना (प्रपत्र–3), नियम–22 के अनुसार पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र (आई कार्ड) जारी करना (सूडा के

पत्रांक–1134/241/NULM/Teen /2001(SUSV-CSVP) दिनांक 05.06.2018 द्वारा जारी पत्र में संलग्न शासन से अनुमोदित पहचान पत्र के प्रारुप पर) एवं नियम–6(छ) के अनुसार पथ विक्रेता योजना (प्लान) तैयार किया जाना आदि कार्य किये जाने है।

एस0यू0एस0वी0 घटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में चयनित 30 शहरों (लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, सहारनपुर, झांसी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या–फैजाबाद, मथुरा–वृन्दावन, मुज्फ्फरनगर, मऊ, लोनी (गाजियाबाद), बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, शाहजहॉपुर, सम्भल, जौनपुर) एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 30 अन्य शहर यथा शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, रामपुर, चन्दौसी (सम्भल), बड़ौत (बागपत), खुर्जा (बुलन्दशहर), मोदीनगर (गाजियाबाद), शामली, बदायूॅ, पीलीभीत, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, मुगलसराय (चन्दौली), गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोण्डा, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर), सुलतानपुर एवं देवीरया में उपरोक्त समस्त कार्यो को नियमावली 2017 के अनुरुप किया जाना है।

उपरोक्त सभी 60 शहरों में शहरी पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार उपरोक्त सभी कार्य किये जाने है जिसके संबंध में सी0एम0एम0यू0–डूडा द्वारा संबंधित नगर निकाय से समन्वय करते हुए उपरोक्त सभी कार्यों को नियमावली के अनुसार सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करायें।

मुख्यालय के पत्र संख्या–4353 दिनांक 16.10.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये कि उक्त शहरों में सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं को शासन की अपेक्षानुसार एवं उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के अनुसार प्रत्येक दशा में दिनांक 15.11.2018 तक शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए और पथ विक्रेताओं को पथ विक्रेता प्रमाण पत्र (वेंडिग सर्टिफिकेट) एवं पहचान पत्र जारी किये जाए। शहरी पथ विक्रेता प्लान, वेडिंग प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किये जाने के संबंध में मुख्यालय को उपरोक्त सभी शहरों से सूचना अप्राप्त है जोकि अत्यन्त खेदजनक है।

भारत सरकार के आदेशानुसार DAY-NULM के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों का आधार नं0 होना अनिवार्य है। जिन पथ विक्रताओं के पास आधार कार्ड नही है, उनके आधार कार्ड बनवाने मे सहायता की जाय और आधार कार्ड संख्या अवश्य अंकित की जाय। नगर पथ विक्रय समिति के माध्यम से उन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आदि भी जारी करवाने की कार्यवाही की जाय। सिटी स्ट्रीट वेंडिग प्लान योजना प्राधिकारी (विकास प्राधिकरण आदि) के परामर्श और टाउन वेडिंग कमेटी की सिफारिश पर नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। पथ विकेता प्लान को पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) अधिनियम 2014, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) नियमावली 2017, उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार किया जायेगा। मॉडल प्लान एवं DIP के संबंध में विवरण वेबसाइट पर अपलोड है।

शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वे, शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं विस्तृत क्रियान्वयन प्लान तैयार कर रही एजेन्सियों को भुगतान हेतु मुख्यालय को प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्र के साथ शहरी पथ विक्रेताओं की सूची (आधार एवं मोबाइल नं0 सहित) प्रस्तुत की जाये।

SEP – DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP-I) के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों बुलन्दशहर, सम्भल, अमेठी (गौरीगंज), कौशाम्बी (मंझनपुर), बाराबंकी एवं आजमगढ़ द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। SEP-I के अन्तर्गत जनपद बांदा, रामपुर, झांसी, कानपुर देहात, फिरोजाबाद, बागपत, जालौन (उरई), महोबा, बागपत (बड़ौत), मऊ, सीतापुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, चन्दौली, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, फैजाबाद, सुलतानपुर, श्रावस्ती, हरदोई, कुशीनगर (पड़रौना), अम्बेडकर नगर, गोरखपुर एवं देवरिया के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह दिसम्बर, 2018 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक (SEP-G) के अन्तर्गत जनपदों यथा बुलन्दशहर (जहॉगीराबाद, खुर्जा), मेरठ (मवाना), पीलीभीत (बीसलपुर), सम्भल (चन्दौसी), महाराजगंज, फतेहपुर, बहराइच, फैजाबाद एवं सीतापुर जनपदों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा

संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। SEP-G के अन्तर्गत जनपद आगरा, अमरोहा, मुरादाबाद, झांसी, मथुरा, रामपुर, शाहजहाँपुर, मेरठ, बरेली, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मिर्जापुर, मऊ एवं कानपुर नगर के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह दिसम्बर, 2018 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक (SHG-Bank Linkage) के अन्तर्गत जनपदों यथा अमरोहा (गजरौला), औरैया, बदायूँ, चित्रकूट, कानपुर देहात, शामली (कैराना), चन्दौली, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र (राबर्टसगंज) एवं बलरामपुर जनपदों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद यथा मैनपुरी, फिरोजाबाद (शिकोहाबाद), एटा, बरेली, गाजियाबाद (मोदीनगर), बिजनौर, झांसी, रामपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मथुरा, मिर्जापुर, मऊ, इलाहाबाद, गोण्डा, कानपुर नगर, लखनऊ, फतेहपुर, आजमगढ़, फैजाबाद एवं सुलतानपुर जनपदों द्वारा द्वारा मानक से कम लक्ष्य की प्राप्ति की गई है, जिस पर निदेशक महोदय द्वारा परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह दिसम्बर, 2018 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त निम्न जनपदों द्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटकों में लक्ष्यों की प्रगति शून्य है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	SEP(I)	SEP(G)	SHG Bank Linkage
1.	गाजीपुर, शाहजहाँपुर (तिलहर), कन्नौज (छिबरामऊ)।	बागपत, बड़ौत, बांदा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद (शिकोहाबाद), गाजियाबाद (मोदीनगर), हाथरस।	बागपत, बड़ौत, बांदा, गाजियाबाद (मुरादनगर), हमीरपुर।
2.	झांसी (मऊरानीपुर), जालौन (कालपी)।	जालौन, कन्नौज, कानपुर देहात, महोबा, सहारनपुर (देवबंद, गंगोह, तिलहर), शामली (कैराना)।	जालौन (कोंच, कालपी), कन्नौज, महोबा, शाहजहाँपुर, अमेठी, गौरीगंज।
3.	हमीरपुर (राठ)।	अमेठी, गौरीगंज, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, कौशाम्बी (मंझनपुर), कुशीनगर, लखीमपुर खीरी (गोला गोखरनाथ)।	आजमगढ़ (मुबारकपुर), बस्ती, भदोही (ज्ञानपुर), देवरिया।
4.	बिजनौर (धामपुर), बिजनौर (चांदपुर)।	प्रतापगढ़, सन्तकबीर नगर (खलीलाबाद), सोनभद्र (राबर्टसगंज), सुलतानपुर, वाराणसी, उन्नाव (गंगाघाट)।	कुशीनगर (पड़रौना), उन्नाव (गंगाघाट)।

उपरोक्त जनपदों की प्रगति शून्य होने की दशा में निदेशक महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। साथ ही यह निर्देश भी दिये गये है कि नवम्बर तक के निर्धारित लक्ष्यों तथा माह दिसम्बर, 2018 तक के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा इनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त जिन शहरों के शहर मिशन प्रबन्धकों द्वारा वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किये गये लाभार्थियों का सत्यापन एवं अनुमोदन नहीं किया गया है, उनके प्रति निदेशक महोदय द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर आबद्धता समाप्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

<u>CB&T-</u> DAY-NULM के घटक क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये है:-

- जनपद बागपत की श्रीमती वन्दना गौतम, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा DAY-NULM के समस्त घटकों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने की स्थिति एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अपेक्षित प्रगति न किये जाने एवं बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2018 का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये है।

- जनपद बरेली की श्रीमती **मनोरमा बिष्ट**, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा दिनांक 14.12.2018 को बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण **01 दिन** का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये है।
- समीक्षा बैठक में जनपद **अम्बेडकरनगर** के श्री जितेन्द्र त्रिपाठी, शहर मिशन प्रबन्धक एवं जनपद मुजफ्फरनगर के **श्री अबुसाद अहमद, शहर मिशन प्रबन्धक** द्वारा DAY-NULM के समस्त घटकों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने की दशा में एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अपेक्षित प्रगति न किये जाने के दृष्टिगत इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है।

"शहरी समृद्धि उत्सव" पखवाड़ा फरवरी, 2019:–

संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत **"शहरी समृद्धि उत्सव"** पखवाड़ा फरवरी, 2019 के आयोजन की प्रगति समीक्षा दिनांक 14.12.2018 को वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की गई जिसमें निर्धारित अवधि में अपेक्षित गतिविधियों का आयोजन नहीं किये जाने की स्थित पर गहरा असन्तोष व्यक्त किया गया है तथा निर्देश दिये गये है कि गठित स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न अन्य सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किये जाने हेतु सर्वेक्षण की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध करायी जाए तथा लाभ न पाये समूहों के सदस्यों को लाभान्वित किये जाने हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय कर सभी SHG सदस्यों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाये। लाभान्वित किये जाने का प्रमाण पत्र 01 फरवरी से 15 फरवरी, 2019 के मध्य विभिन्न समारोहों का आयोजन कर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना है। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किये जाने में यदि किसी भी तरह की समस्या आ रही हो तो योजनावार लाभान्वित किये जाने वाले सदस्यों की सूची समस्या का उल्लेख करते हुए तत्काल उपलब्ध करायी जाए ताकि राज्य स्तर से कार्यवाही की जा सके। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं किया जाना है तथा प्रत्येक सप्ताह शनिवार को प्रत्येक दशा में भेजे गये दोनों प्रारुप पर आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। असंगठित सफाई कर्मियों के स्वयं सहायता समूह सभी निकायों को अनिवार्य रुप से बनाने है। नगर निगम वाले शहर 25 समूह, नगर पालिका वाले 15–20 समूह तथा नगर पंचायत 5–10 समूह प्रत्येक दशा में गठन करायें। सफाई कर्मियों में महिलाओं अथवा पूरुषों के समूह भी बनाये जा सकते है। सभी निकायों को 1 से 15 फरवरी, 2019 के मध्य सफाई कर्मियों के कम से कम 5–10 समूहों को RF भी पखवाड़े में अवमुक्त किया जायेगा यदि कोई समूह 3 माह की अर्हता पुरी नहीं कर रहा हेगा, तो RF चेक के माध्यम से दिया जायेगा, जिसमें चेक पर अर्हता पूर्ण करने के उपरान्त की तिथ होगी यानि अग्रिम तिथि का चेक दिया जायेगा।

शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़े के मध्य सभी शेल्टर होम कालेज से सम्बद्ध किये जाये। संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा निर्देश दिये गये है कि जिन शहरों में मेडिकल कॉलेज है, उन शहरों के शेल्टर होम भी सम्बद्धता मेडिकल कॉलेज से की जाये तथा समन्वय कर वहाँ के इनटर्नस की विजिट शेल्टर होम में करायी जाये, हेल्थ चेकअप व अन्य व्यवस्थाओं में भी उनका सुझाव दिया जाए।

शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़े के मध्य ऋणु के लम्बित प्रकरणों का निपटारा कर तथा इस सूची में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित प्रर्दशनी सह विक्रय हेतु लगने वाले मेले में प्रतिभाग वाले समूह के संबंध में टिप्पणी उपलब्ध करायी जाये।

शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़े के मध्य शहरी पथ विक्रेताओं हेतु स्ट्रीट फूड फेस्टिवल आयोजित किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया, जिसके लिए 02 शहरों वाराणसी एवं प्रयागराज चयनित किये गये है। इस स्ट्रीट फूड फेस्टिवल के अन्तर्गत रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जाना है। स्ट्रीट फूड फेस्टिवल के आयोजन के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किये जाने है। उल्लेखनीय है कि वाराणसी एवं प्रयागराज शहरों को शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजनान्तर्गत मॉडल टाऊन विकसित किये जाने के संबंध में निर्देश पूर्व मे जारी किये जा चुके है।

सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़े के मध्य नगर निकायों से समन्वय करते हुए शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण करते हुए, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र समारोह एवं बैठकों के आयोजन के माध्यम से वितरित किये जाये।

शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़े के मध्य भारत सरकार के निर्देशानुसार शहरी गरीबों को ई0एस0टी0 एण्डपी0 एवं स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार/लधु उद्यम उपलब्ध कराने हेतु मण्डर स्तर पर रोजगार

मेलों का आयोजन किया जाये। **मण्डल स्तर पर** आयोजित किये जाने वाले रोजगार मेलों में मण्डल के सभी जनपदों से **शहरी गरीबों को रोजगार मेलो के माध्यम** से लाभान्वित किया जाये। मण्डल स्तर पर आयोजित होने वाले रोजगार मेलों हेतु **मण्डल मुख्यालय पर स्थित** डूडा/सी0एम0एम0यू0 द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन किया जाये।

शहरी समृद्धि उत्सव का विवरण **मिशन** निदेशालय द्वारा अद्यतन 5 पत्रों के माध्यम से सभी को प्रेषित किया गया है, के संबंध में निर्देश दिये गये कि उक्त पत्रों का अध्ययन कर सफलतापूर्वक **"शहरी समृद्धि उत्सव"** का आयोजन कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त उत्सव का सुचारु रुप से अभिलेखीकरण कर आख्या सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध करने के निर्देश दिये गये ताकि उक्त आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। **"शहरी समृद्धि उत्सव"** के बृहद प्रचार एवं प्रसार के लिए शोसल मीडिया, समाचार पत्रों एवं रेडियों चैनलो का प्रयोग करते हुए जनमानस को जागरुक किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

<u>बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना–</u>

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सभी सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उनका कम्पलीशन सार्टीफिकेट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिन परियोजनाओं में आवास पूर्ण हो चुके है तथा आवंटन नहीं हुआ है, परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उन परियोजनाओं में तत्काल आवंटन कराकर कब्जा आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं अभिकरण मुख्यालय को सूचना भी प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

<u>राजीव आवास योजना–</u>

राजीव आवास योजनान्तर्गत सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को भी निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में निर्माणकार्य बन्द हैं वहां शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराए।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

<u>आसरा योजना–</u>

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनका तत्काल आवंटन सुनिश्चित कराते हुए उनका कार्य–पूर्ति प्रमाण पत्र एवं आवंटन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- सभी सम्बधित परियोजना अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में द्वितीय किस्त अवमुक्त की जानी है उनकी यू0सी0/निरीक्षण आख्या, 19–कालम रिपोर्ट, फोटोग्राफ आदि सभी अभिलेख एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा बैठक में जनपद–महराजगंज, सोनभद्र, हरदोई, श्रावस्ती, मथुरा एवं हापुड़ के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में जनपद स्तर पर लम्बित पुनरीक्षित मूल्यवृद्धि की डी0पी0आर0 तैयार कर सी0 एण्ड डी0एस0 के माध्यम से एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

<u>मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना</u>

समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत जिन जनपदों ने अभी तक अभिकरण मुख्यालय को नहीं उपलब्ध करायी है वे एक सप्ताह में डी0पी0आर0 तैयार कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा बजट लैप्स होने की दशा में सम्बन्धित जनपद की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर पर तैयार कराये गये प्रस्ताव जनपद की शासी निकाय से अवश्य अनुमोदित कराया जाय तथा जो प्रस्ताव बिना शासी निकाय के अनुमोदन के प्रेषित किये गये है उनमें भी शासी निकाय के अनुमोदन का प्रमाण–पत्र तीन दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि रू0 3.00 करोड़ से 4.00 करोड़ धनराशि तक के प्रस्ताव/डी0पी0आर0 शासनादेश के अनुरूप तैयार कराते हुए मुख्यालय को एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

बैलन्सशीट

समीक्षा बैठक में जनपद एटा, कासगंज, शाहजहांपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, औरैया, इटावा, बागपत, रामपुर, इलाहाबाद, बलरामपुर, हरदोई, रायबरेली, चन्दौली, गाजीपुर,जौनपुर, अमेठी एवं कुशीनगर से वित्तीय वर्ष 2017–18 की बैलन्सशीट तैयार न हो पाने के दृष्टिगत परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में बैलन्सशीट तैयार करा कर मुख्यालय को उपलब्ध करायें और यदि किसी जनपद में बैलन्सशीट में समस्या आ रही है तो संबंधित सी0ए0 को मुख्यालय से जनपद में निराकरण हेतु भेजा जाय।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

परियोजना अधिकारी, डूडा जो कि जनसूचना अधिकारी के रूप में भी नामित हैं हेतु मासिक समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश निर्गत किये गये :–

1– अधिनियम के अनुसार आवेदक का आवेदन पत्र डूडा कार्यालय पर प्राप्त होने की तिथि से आवेदक को सूचना 30 दिवस के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। इंगित किया गया कि अभिकरण मुख्यालय पर जिस संख्या में प्रथम अपीलें योजित हो रही हैं उसका मुख्य कारण समयावधि के भीतर उत्तर न दिया जाना दृष्टिगत है।

2– यदि आवेदक की सूचना संबंधित डूडा कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है तो संबंधित विभाग को आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अन्तरित कर दिया जाये। ऐसा न करने पर प्रथम अपील या द्वितीय अपील की स्थिति आने पर संबंधित डूडा का दायित्व निर्धारित होने अथवा दण्डित होने की संभावना बन जाती है। सचेत किया गया कि विगत दिनों विभिन्न जिलों के पांच विविध प्रकरणों में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय के स्तर से 25–25 हजार रूपये जुर्माना लगाये जाने का प्रकरण सामने आया है। यह स्थिति जनपदीय डूडा के स्तर से समय से सूचना न देने, अपूर्ण सूचना देने या ऐसे ही कतिपय कारणों से उत्पन्न हुई है।

3– निर्देशित किया गया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र मिलने पर उसके द्वारा वांछित प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ अथवा सी0डी0 इत्यादि की मांग निर्धारित समयावधि में कर ली जाये। प्रायः जनपद स्तर से निर्धारित समयावधि 30 दिवस के अन्दर आवेदक से अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रति पृष्ठ अथवा प्रति सी0डी0 का शुल्क न मांगे जाने के कारण डूडा स्तर से सूचना देने पर आवेदक को निःशुल्क सभी प्रपत्र उपलब्ध कराने होते हैं जिसमें डूडा स्तर पर शिथिलता के कारण शासकीय व्यय उठाना पड़ रहा है।

4– इंगित किया गया कि राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रत्येक सोमवार को उस सप्ताह की समस्त आयुक्तों की सुनवाई संबंधी सूची प्रदर्शित कर दी जाती है। प्रत्येक डूडा के जनसूचना अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उनके कार्यालय से संबंधित कोई प्रकरण सुनवाई हेतु सूचीबद्ध तो नहीं हुआ है।

5– राज्य सूचना आयोग में परिवाद सूचीबद्ध होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का प्रयास करें। किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थिति का समुचित कारण दर्शाते हुए लिखित रूप से अधिकृत सक्षम कार्मिक को सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, संबंधित डूडा/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0)–

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत जनपद– बॉदा, बरेली, बिजनौर, एटा, फिरोजाबाद,गाजियाबाद,कन्नौज,महोबा,मैनपुरी एवं शामली के परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित प्रकरणों के संबन्ध में प्रति दिन पोर्टल को चेक करने एवं शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री संदर्भ जिलाधिकारी अथवा परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर से प्रेषित किये जाये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक–8681 /110/तीन/97 Vol-VII **दिनांक–28/12/2018**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक